>

Title: Need to provide immediate compensation to land oustees whose lands have been acquired for four-laning of NH 57 in Madhubani district, Bihar as part of East-West Corridor.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा पूरब-पश्चिम महामार्ग के बिहार में एन.एच.- 57 चतुर्थ-लेन के निर्माणार्थ ली गई जमीन का उचित मुआवजा अभी भी अधिकांश भू-धारियों को नहीं मिल पाया है और खासकर मधुबनी जिला में यह समस्या बहुत ही विकट है। मधुबनी जिला के भूतहा, नरहिया बाजार, फुलपरास बाजार, ब्रहमपुर बाजार, खोपा, संग्राम बाजार एवं अररिया सहित सकरी तक अनेक ऐसे भू-धारी हैं, जिनके मामले में पंचाट का भी उचित निर्णय हो जाने एवं तत्पश्चात सक्षम प्रशासनिक स्तर से आदेश निर्गत हो जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा भी आदेश पारित कर दिए जाने के बावजूद भुगतान लंबित रखा गया है। भू-धारी परेशान हैं क्योंकि जिनका व्यवसाय, कारोबार और आवासीय घर उजड़ गये वे दर-दर को भटक रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी और एक जटिल समस्या यह है कि भूतहा चौक से सकरी तक जितने महत्वपूर्ण बाजार, क्रॉस रोड और चौराहे अवस्थित हैं, वहाँ-वहाँ सब-लेन, अंडर पास, उपरिपुलों एवं दोनों तरफ सर्विस-लेनों की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, जिसके चलते अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः मैं इस दिशा में शीघ्र समुचित कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।